UPLK010231382024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।
सेशन्स केस सं0 492 / 2025

सरकार बनाम जितेन्द्र शर्मा उर्फ अर्जुन

अ0सं0 690 / 2024
धारा–64,77,352,351(3) बी0एन0एस0
धारा 3(2)V एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट
थाना–पी0जी0आई0, लखनऊ।

14–08–2025

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्त जितेन्द्र शर्मा उर्फ अर्जुन जेरे जमानत न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विद्वान विशेष लोक अभियोजग ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 64, 77, 352, 351(2) बी0एन0एस0 तथा धारा 3(2)V एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 03–10–2025 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010231382024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सेशन्स केस सं0 492/2025

सरकार बनाम जितेन्द्र शर्मा उर्फ अर्जुन

अ0सं0 690/2024
धारा–64,77,352,351(3) बी0एन0एस0
धारा 3(2)V एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट
थाना–पी0जी0आई0, लखनऊ।

आरोप

मैं, विवेकानन्द शरण त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त जितेन्द्र शर्मा उर्फ अर्जुन को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँः–

प्रथमः यह कि माह नवम्बर, 2021 से दिनांक 09.10.2024 के मध्य, समय अदम तहरीर थाना पी0जी0आई0 जिला लखनऊ सीमान्तर्गत वादिनी के मकान में आप अभियुक्त जितेन्द्र शर्मा उर्फ अर्जुन द्वारा वादिनी मुकदमा पम्मी को चाय में नशीला पदार्थ मिला कर पिलाने के बाद वादिनी के साथ बलात्कार कारित किया। इस प्रकार आप ने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त जितेन्द्र शर्मा उर्फ अर्जुन द्वारा वादिनी मुकदमा पम्मी को चाय में नशीला पदार्थ मिला कर पिलाने के बाद वादिनी के साथ बलात्कार कारित किया तथा उसकी की सहमति के बिना उसकी अश्लील वीडियो व फोटो बनाई। इस प्रकार आप ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त जितेन्द्र शर्मा उर्फ अर्जुन द्वारा वादिनी मुकदमा पम्मी को भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त जितेन्द्र शर्मा उर्फ अर्जुन द्वारा वादिनी मुकदमा पम्मी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय न्याय संहिता संहिता की धारा 351(3) के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

पंचमःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त जितेन्द्र शर्मा उर्फ अर्जुन ने अनुसूचित जाति वादिनी मुकदमा पम्मी (जो अनुसूचित जाति की सदस्या है) से ऐसे ज्ञान व परिस्थितियों में उसके साथ बलात्कार किया। जो भारतीय न्याय संहित के अधीन दस वर्ष की अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध है। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम धारा–3(2)(5) के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 14–08–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6127

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 14–08–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6127